सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

दायर दिनांक 11.12.2012

राजस्व वाद संख्याः 2012/234

वादी		प्रतिवादीगण
1. दीपा पुत्र मोहनराम, 2. कमला पुत्री मोहनराम, 3. आसी पत्नि मोहनराम, समस्त जाति जाट, निवासी प्यांवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर	बनाम	1. गंगाराम पुत्र कानाराम, 2. लिछमण पुत्र मोहनराम, जाति जाट, निवासी प्यांवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 3. सुप्यार पुत्री लादुराम, जाति जाट, निवासी रायथलिया, तहसील मकराना, जिला नागौर 4. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,

रेकर्ड दुरुस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. पक्षकारान उपस्थित।

दिनांक 04.06.2018

–:: निर्णय ::–

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है, वादी दीपा, प्रतिवादी लिछमण, प्रतिवादी नम्बर 03 सुप्यार का पति स्व0 अणदाराम तीन सगे भाई थे, जिनमें से अणदाराम का स्वर्गवास दिनॉक 26.10.2012 को हो चुका है तथा स्व0 राजुराम के तीनों पुत्रो मोहनराम, कानाराम व हिराराम तीनो का स्वर्गवास हो चुका है। तथा हीराराम अविवाहित ही फोत हो चुका है, तथा कानाराम का स्वर्गवास आज से करीब 35 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा मोहनराम का स्वर्गवास आज से करीब 29 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा कानाराम की औरत का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी दीपा की एक सगी बहिन कमला है जो करीब 38 वर्ष की है तथा वादी दीपा की माता आसी देवी करीब 60 वर्ष की है। तथा खेत खसरास 'ख्या 238 रकबा 13.05 बीघा व खसरा संख्या 254 रकबा 50.17 बीघा कुल 64.02 बीघा भूमि वाके प्यावा सिथत है, जिनकी खातेदारी वादी, प्रतिवादी नम्बर 02 लिछमण व इनके भाई स्व0 अणदाराम के नाम से 1/2 हिंससे की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, उक्त खेत पैतृक है तथा वादी नम्बर 01 दीपा के पिता मोहनराम का स्वर्गवास आज से करीब 29 वर्ष पूर्व हो गया था, उस समय उसके तीन पुत्र व एक पुत्री जिनका नाम लिछमण, दीपा, अणदाराम व पुत्री कमला थे, जिनकी उम्र क्रमशः 40, 36, 29, 38 वर्ष है, अर्थात उस समय चारो ही नाबालिग थे। और स्व0 अणदाराम तो उस समय मात्र

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

3 माह का ही था तथा उनकी मृत्यु के बाद स्व0 मोहनराम की औरत वादी आसी व तीनो पुत्र व एक पुत्री मौजुद थी, इसके बावजुद राजस्व कर्मचारियों ने केवल तीन पुत्रों के नाम उक्त खेतो के 1/2 हिंस्से की खातेदारी दर्ज कर दी गयी, जबकि तीनो पुत्रो के साथ वादी नम्बर 02 व 03 की खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी तथा इन पॉचों ने उक्त 1/2 हिंससे के खेतो का मौखिक बंटवारा कर आज से करीब 10 वर्ष पूर्व से ही प्रत्येक के 1/5–1/5 हिंस्से का काश्त करने लग गये तथा तब से लेकर आज तक प्रत्येक का 1/5 हिंस्सा पर काबिज है। तथा अबाध रूप से काश्त करते आ रहे है। तथा उक्त खेतो का 1/2 हिंस्सा प्रतिवादी गंगाराम के नाम से है जो यथावत रहेगा, तथा वादी दीपा के भाई अणदाराम का दिनॉक 26.10.2012 को स्वर्गवास हो गया तथा उसकी पत्नि सुप्यार घर में से समस्त सामान लेकर दूसरी जगह दिनॉक 11.11.2012 को चली गयी। लेकिन अब उसकी और से धमकियां शुरू हो गयी है कि उक्त खेतो के 1/2 हिंस्से में से 1/3 हिंस्सा लेकर रंहुगी, जिसके कारण वादीगण के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है। अतः वादीगण को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 सुप्यार की और से वकालतनामा पेश हुआ। दिनॉक 04.06.2018 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 ने राजीनामा पेश किया, जो तस्दीक कर शामिल मिशल किया गया।

पक्षकारान को सुना गया, जिन्होने राजीनामा के अनुसार फैसला करने का निवेदन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद राजीनामा के अनुसार डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद प्यावा में स्थित वर्तमान खेत खसरा संख्या 238 रकबा 13.05 बीघा, खसरा संख्या 254 रकबा 50.17 बीघा, कुल 64.02 बीघा भूमि में से 1/2 हिंस्से की खातेदारी प्रतिवादी गंगाराम की यथावत रहेगी, तथा इनके हिंस्से के खेत खसरा संख्या 238 में से दान दी गयी पंचायत भूमि यथावत रहेगी, तथा खातेदार अणदाराम का स्वर्गवास होने से उसका नाम खातेदारी से हटाया जाकर उक्त खेतो के शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी दीपा व प्रतिवादी लिछमण के नाम से घोषित की जाती है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **04.06.2018** को कोर्ट केम्प डाकीपुरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2012/234** दायर दिनांक **11.12.2012**

वादी		प्रतिवादीगण
1. दीपा पुत्र मोहनराम, 2. कमला पुत्री मोहनराम, 3. आसी पत्नि मोहनराम, समसत जाति जाट, निवासी प्यांवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर	बनाम	1. गंगाराम पुत्र कानाराम, 2. लिछमण पुत्र मोहनराम, जाति जाट, निवासी प्यांवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 3. सुप्यार पुत्री लादुराम, जाति जाट, निवासी रायथलिया, तहसील मकराना, जिला नागौर 4. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,

रेकर्ड दुरूस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

–:निर्णय :– **दिनांक :– 04.06..2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा प्यांवा पटवार क्षैत्र खरेश भू–निरीक्षक क्षैत्र खुनखुना, तहसील डीडवाना जिला नागौर में हस्व दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके प्यावा में स्थित खेत खसरा संख्या 238 रकबा 13.05 बीघा, खसरा संख्या 254 रकबा 50.17 बीघा, कुल 64.02 बीघा भूमि में से 1/2 हिंस्से की खातेदारी प्रतिवादी गंगाराम की यथावत रहेगी, तथा इनके हिंस्से के खेत खसरा संख्या 238 में से दान दी गयी पंचायत भूमि यथावत रहेगी, तथा खातेदार अणदाराम का स्वर्गवास होने से उसका नाम खातेदारी से हटाया जाकर उक्त खेतो के शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी दीपा व प्रतिवादी लिछमण के नाम से घोषित की जाती है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बाबत.............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.05.2018 को जारी की गयी।
4-6-2018

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर	–		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करंना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक –16–2015 / रीडर / 2018 / 569 दिनॉक 4/6/18

प्रेषिति :–

तहसीलदार

डीडवाना।

विषय :– निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188, 53 R.T.Act.

राजस्व वाद संख्याः **2012 / 234** निर्णय दिनांक **04.06.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. दीपा पुत्र मोहनराम, जाति जाट, निवासी प्यांवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर वगैरह	बनाम	1. गंगाराम पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी प्यांवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर वगैरह

उपरौक्त विषयक वर्णित प्रकरण में निर्णय की छाया प्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर इस न्यायालय में भिजवाये, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हों।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना

Scanned by CamScanner